

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 70/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/143

दायर दिनांक :- 20.06.2024

निर्णय दिनांक :- 03.01.2025

01. श्रवणकुमार पुत्र रामूराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
-वादी

बनाम

01. कमला पत्नी इग्याराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
02. काली पत्नी अमुराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
03. खेमली पुत्री प्रेमराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
04. गंगादेवी पत्नी देराजराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
05. गंगाराम पुत्र चांदाराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
06. गवरी पत्नी पूनाराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
07. जैनी पत्नी सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
08. देउ पुत्री प्रेमराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
09. दुर्गाराम पुत्र अमुराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
10. मगाराम पुत्र पीराराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
11. मिरगा पुत्री चांदाराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
12. राजू पुत्री प्रेमराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
13. रामूराम पुत्र अमुराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
14. लिछमों पत्नी किशनाराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
15. श्रवणराम पुत्र अमुराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
16. शेराराम पुत्र प्रेमराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
17. सन्तु पुत्री प्रेमराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
18. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रतिवादीगण



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

- उपस्थित :-
1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी
 2. श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता प्रतिवादी
 3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

-:: निर्णय ::-

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम घंटियाली पटवार क्षेत्र घंटियाली तहसील बाप में खसरा नम्बर 246 रकबा 18.8826 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 4 ता 7, 9, 10, 13 ता 15 की और से अधिवक्ता मोहम्मद रफीक ने

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर ग्राम घंटियाली पटवार क्षेत्र घंटियाली तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 246 रकबा 18.8826 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार घंटियाली द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनकी द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अतिक्रिती जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, घंटियाली द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना समझते हैं।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार घंटियाली द्वारा राजस्व ग्राम घंटियाली पटवार क्षेत्र घंटियाली तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 246 रकबा 18.8826 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 17 के मध्य निम्ननुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टेयर	किस्म
1	श्रवणकुमार पुत्र रामूराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	घंटियाली	246	0.4793 हैक्टेयर	बी-3
2	मगाराम पुत्र पीराराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार रहन यूको बैंक शाखा घंटियाली	घंटियाली	246	3.1471 हैक्टेयर	बी-3
3	लिछमों पत्नी किशनाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	घंटियाली	246	4.7858 हैक्टेयर	बी-3
4	कमला पत्नी इग्याराम 1/4 हिस्सा, गंगादेवी पत्नी देराजराम 1/4 हिस्सा, गवरी पत्नी पूनाराम 1/4 हिस्सा, जैनी पत्नी सूरजाराम 1/4 हिस्सा जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	घंटियाली	246	6.2942 हैक्टेयर	बी-3

राजस्व कलेक्टर
बाप (फलोदी)

काली पत्नी अमुराम 10490/41962
 हिस्सा, दुर्गाराम 5994/41962 हि. रामुराम
 5994/41962 हि. श्रवणराम पि. अमुराम
 5994/41962 हिस्सा, ओमाराम पुत्र
 गंगाराम 1619/41962 हिस्सा, माधाराम
 पुत्र गंगाराम 1619/41962 हिस्सा, खेमली
 600/41962 हिस्सा, देउ 600/41962
 हिस्सा, राजू 600/41962 हिस्सा, रान्तु
 पुत्री प्रेमराम 600/41962 हिस्सा, शेराराम
 पुत्र प्रेमराम 599/41962 हिस्सा, गंगाराम
 पुत्र चांदाराम 4256/41962 हिस्सा, मिरगा
 पुत्री चांदारा 2977/41962 हिस्सा जाति
 भेघवाल सा. देह खातेदार

घटियाली

246

4 1962 हैकटेयर

की-3

तहसीलदार घटियाली को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 17 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्या अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुखाराम मिश्र डेल ऑफिस)
 सहायक कलेक्टर एवं
 ब्राप (फलोदी)
 उपखण्ड अधिकारी
 दाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी
पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

01. श्रवणकुमार पुत्र रामूराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
-वादी

बनाम

- 01 कमला पत्नी इग्याराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 02 काली पत्नी अमुराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 03 खेमली पुत्री प्रेमराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 04 गंगादेवी पत्नी देराजराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 05 गंगाराम पुत्र चांदाराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 06 गवरी पत्नी पूनाराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 07 जैनी पत्नी सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 08 देउ पुत्री प्रेमराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 09 दुर्गाराम पुत्र अमुराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 10 मगाराम पुत्र पीराराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 11 मिरगा पुत्री चांदाराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 12 राजू पुत्री प्रेमराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 13 रामूराम पुत्र अमुराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 14 लिछमों पत्नी किशनाराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 15 श्रवणराम पुत्र अमुराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 16 शेराराम पुत्र प्रेमराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
- 17 सन्तु पुत्री प्रेमराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

मध्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

--प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 70/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सॉलकी मिनजानिब मुदई व मोहम्मद रफीक मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम घंटियाली पटवार क्षेत्र घंटियाली तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 246 रकबा 18.8826 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 17 के मध्य निम्नुसार बंटवाडा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टेयर	किस्म
1	श्रवणकुमार पुत्र रामूराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	घंटियाली	246	0.4793 हैक्टेयर	बी-3
2	मगाराम पुत्र पीराराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार रहन यूको बैंक शाखा घंटियाली	घंटियाली	246	3.1471 हैक्टेयर	बी-3
3	लिछमों पत्नी किशनाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	घंटियाली	246	4.7658 हैक्टेयर	बी-3
4	कमला पत्नी इग्याराम 1/4 हिस्सा, गंगादेवी पत्नी देराजराम 1/4 हिस्सा,	घंटियाली	246	6.2942 हैक्टेयर	बी-3

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

गवरी पत्नी पूनाराम 1/4 हिस्सा, जैनी पत्नी सूरजाराम 1/4 हिस्सा जाति मेघवाल सा. देह खातेदार				
5 काली पत्नी अमुराम 10490/41962 हिस्सा, दुर्गाराम 5994/41962 हि. रामूराम 5994/41962 हि. श्रवणराम पि. अमुराम 5994/41962 हिस्सा, ओमाराम पुत्र गंगाराम 1619/41962 हिस्सा, माधाराम पुत्र गंगाराम 1619/41962 हिस्सा, खेमली 600/41962 हिस्सा, देउ 600/41962 हिस्सा, राजू 600/41962 हिस्सा, सन्तु पुत्री प्रेमराम 600/41962 हिस्सा, शेराराम पुत्र प्रेमराम 599/41962 हिस्सा, गंगाराम पुत्र चांदाराम 4256/41962 हिस्सा, मिरगा पुत्री चांदारा 2977/41962 हिस्सा जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	घंटियाली	246	4 1962 हेक्टेयर	बी-3

तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 17 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल यावी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.01.2025 को जारी की गई।



सहायक (मुख्य) कलेक्टर (फ़ैरोज़पुर) (RAS)
बाप (फ़ैरोज़पुर) कलेक्टर
बाप (फ़ैरोज़पुर)

मुदई	पैसे	नुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मिजान		स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :- इस खर्च के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।